

इसके अलावा, मुझे लगता है कि इसमें नैतिक मूल्य का भी प्रश्न है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि मंदिर से आपने मूर्ति चुराई है या पुलिस आपके पीछे है, उससे आप कैसे छुटकारा पाएँगे। इसी तरह, आपने रेल का टिकट नहीं लिया है। ...**(समय की घंटी)**... इसमें बच्चों के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है।

SHRI SANJAY SETH (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the Zero Hour and wish to say, यह जो Blue Whale गेम चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। हम लोगों को कोई ऐसा प्रोविजन लगाना चाहिए कि इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह की गेम्स सारी साइट्स से हटें, जिससे आजकल जो बच्चे अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर ऐसे गेम्स की तरफ जा रहे हैं, उस पर रोक लग सके।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करता हूँ।

Concern over non-availability of generic medicines to the common people

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी यहाँ बैठे हुए थे। हम लोगों ने इससे पहले भी यह बात उठाई थी कि इस समय दवाओं को दो श्रेणियों, जेनरिक और नॉन-जेनरिक में बाँट दिया गया है। नॉन-जेनरिक दवाओं और जेनरिक दवाओं के रेट में इतना बड़ा अंतर है कि आम गरीब उसमें पिसता चला जा रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर्स को जेनरिक दवाएँ लिखनी पड़ेंगी। अगर हम जेनरिक और नॉन-जेनरिक के मूल्यों के बीच अंतर को देखें, तो जेनरिक एक रुपय प्रति टैबलेट है, तो नॉन-जेनरिक 70-75 रुपए प्रति टैबलेट है। डॉक्टर्स और केमिस्ट्स, ये दोनों मिलकर गरीबों को लूट रहे हैं।

श्रीमन्, इससे पहले हमने नर्सिंग होम्स की बात बताई थी। आप किसी भी नर्सिंग होम में चले जाएँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखाएँ, तो पहले वह इतनी जाँच लिख देगा कि आपके घर बिकने भर का पैसा जाँच में चला जाएगा। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इस देश में बड़े नामी हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप वहाँ चले जाएँ, तो मिनिमम एक लाख रुपए का बिल बनेगा। अगर आप हॉस्पिटल में प्रवेश कर गए, तो इससे कम का बिल तो बन ही नहीं सकता। फिर दवाइयाँ! श्रीमन्, जेनरिक दवाई—उसमें same chemical composition और same salt है, लेकिन उसके दाम और नॉन-जेनरिक दवाई के दाम में इतना बड़ा अंतर! लेकिन, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप एम्स में चले जाइए। एम्स के बाहर जितनी दवा की दुकानें हैं, अगर आप वहाँ जाएँ तो मालूम होगा कि डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई का नाम कुछ और लिखा है और केमिस्ट पेशेंट को कह देगा कि इस नाम की दवा नहीं है। फिर वह आपको नॉन-जेनरिक दवा दे देगा। आप कहते हैं कि लिखिए, लेकिन क्या लिखें? डॉक्टर की prescription को केमिस्ट के अलावा कोई और पढ़ ही नहीं सकता है, तो मरीज बेचारा क्या जानें! 90 परसेंट मरीज या तो उसी हॉस्पिटल के केमिस्ट के यहाँ से दवा लेते हैं या उस हॉस्पिटल के बाहर से दवा लेते हैं।

अभी सरकार ने अमेरिका के दबाव में 127 दवाओं को जेनरिक से नॉन-जेनरिक कर दिया। मेरा आरोप है, बिल्कुल निश्चित आरोप है कि अमेरिका की बड़ी-बड़ी दवा कंपनियों के दबाव में सरकार ने 127 दवाओं को नॉन-जेनरिक कर दिया और उनको देश को लूटने की आज्ञा दी। आज लूटने की आज्ञा दी है। उन दवाओं की इतनी advertisement होती है कि आदमी यह सोचता है कि यही दवा बिकती है, उसको पता ही नहीं कि जेनरिक दवा क्या है। सरकार जेनरिक औषधालयों की मदद नहीं कर रही है, इसके कारण जेनरिक दवाएँ नहीं बनती हैं और किसी भी अस्पताल में जेनरिक दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। यह एक तरीके से लूट है। स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए। मैं चाहूँगा कि कहीं न कहीं बंदिश लगनी चाहिए। हिन्दुस्तान में स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है — हमारे बजट का सिर्फ 2 परसेंट हेल्थ पर खर्च हो रहा है, जबकि विश्व के और देशों में इंश्योरेंस पॉलिसी बजट और हेल्थ का सारा खर्च सरकार वहन करती है, लेकिन हमारे देश में क्या है? अगर गरीब बीमार पड़ जाए, तो उसका घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, गरीब बिल्कुल गरीब हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में सरकार को कोई डारयेक्शन देने की कृपा करें! ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission raised by my colleague.

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): सर, ऑनरेबल नरेश अग्रवाल जी ने जो बात कही, सारा देश इस बात से सहमत है कि जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए। जब से हमारी सरकार आई है तो प्रधान मंत्री ने जो पहला काम किया कि गांव-गांव में उन क्षेत्रों में, जहां पर कि जरूरतमंद हैं, गरीब हैं जनऔषधि केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र हजारों की संख्या में खोले गए हैं और उसको बढ़ाया जाएगा। जहां तक उन मुद्दों का सवाल है जिनकी बात नरेश जी ने की, निश्चित तौर से जो आपकी चिंता है वह हमारी भी चिंता है कि जो गरीब है, जो कमजोर तबका है, उसको सस्ते दाम पर और अच्छी दवा सुलभ तरीके से मिले। उसके लिए व्यवस्था हो रही है। जो दूसरा विषय है, उसके बारे में हम जो संबंधित मंत्री हैं, उनको बताएंगे।

श्री नरेश अग्रवाल: हमें तकलीफ यह है कि स्वास्थ्य मंत्री सदन को इग्नोर करके चले गए, वे अभी तक यहां बैठे हुए थे। उन्होंने सदन को जानबूझ कर इग्नोर किया।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: हमें आपकी हेल्थ के बारे में मालूम है। आपकी हेल्थ की चिंता भी है और देश की हेल्थ की भी चिंता है।

श्री नरेश अग्रवाल: नकवी जी को हेल्थ के बारे में क्या पता, 'Jack of all, but master of none'. He is jack of all, but master of none.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You please sit down. ...*(Interruptions)*... I think, the hon. Parliamentary Affairs Minister should bring this issue to the notice of the Health Minister because this is a very serious matter. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Ali Anwar Ansari. ...*(Interruptions)*...

SHRITAPANKUMARSEN (West Bengal): Just a minute, Sir. It is not merely a health issue, but also the Ministry of Fertilizers and Chemicals is concerned. The production of medicine comes under that Ministry. It is they who declare the list of essential medicines. It is they who classify 'generic' and 'non-generic' medicines. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Naqviji; please take note of that. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Ali Anwar Ansari. ...*(Interruptions)*...

Alleged prohibition of free speech and writing in the Indian Institute of Mass Communication

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, यह चिंता की बात है कि पत्रकारिता और जनसंचार के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान IIMC दिल्ली में वर्तमान प्रशासन संकाय सदस्यों के साथ बिना किसी विचार-विमर्श और चर्चा के मनमाने फैसले कर रहा है जिससे शैक्षणिक संस्थानों के नियमों, परम्पराओं और मूल्यों को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। संस्थान में तदर्थवाद और तानाशाही हावी है। छात्रों, कर्मचारियों से लेकर संकाय के सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है, चुप न रहने की कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। पिछले एकेडैमिक सत्र में एक छात्र को एक न्यूज वेबसाइट पर संस्थान के तौर-तरीकों की आलोचना के लिए निलम्बित कर दिया गया और छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया पर लिखने के लिए चेतावनी दी गई। क्या एक पत्रकारिता संस्थान में भी छात्रों को स्वतंत्र रूप से बोलने लिखने की आजादी नहीं होगी? यही नहीं पिछले दो महीने में एक महिला संकाय सदस्य को, जो रेडियो और टी.वी. पत्रकारिता विभाग की प्रमुख थीं, उन्हें बिना कारण बताए पद से हटा दिया गया और इसी तरह अंग्रेजी पत्रकारिता विभाग के प्रमुख का मनमाने तरीके से तबादला कर दिया गया, जबकि वे सिर्फ 8 महीने में रिटायर होने वाले हैं। बिना किसी चर्चा के पुरुष छात्रावास को बंद कर दिया गया है। ऐसे ही संस्थान परिसर में बिना किसी सलाह मशविरे के मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दे दी गई, जबकि कक्षाओं और लाइब्रेरी से उनकी दूरी 25 मीटर से भी कम है और इसका कुप्रभाव छात्रों,